फर्द अहकाम

न्यायालय _____

श्रीराम _____ बनाम बाबूलाल

मुकदमा संख्या / वर्ष 61/2019 : _____ / 20____

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	17/6/24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उप० वादी अधिवक्ता की सामग्री पेश नहीं होने के कारण अवसर प्रदान किये। अधिवक्ता अवसर प्रदान किया जाता है आगामी पेशी पर सामग्री पेश करने पर सामग्री का अवसर प्रदान किया जाकर सामग्री वादी हेतु समझा जावेगा। पत्रावली वास्ते सामग्री वादी हेतु दिनांक 19/6/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	19/6/24	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/7/24 को पेश हो।	
	24/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/8/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	12/8/24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उप० नहीं। वक्त अदालत वादी व उनके अधिवक्ता के बार-बार आवाज लगवाई गई। वादी व उनके अधिवक्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से वादी का वाद अग्रिम हाजरी अग्रिम पैरवी के लिए खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल [illegible] से कम है, वाद [illegible] है। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.11 15:21:31 IST
Reason: SelfAttested